

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

17.11.2023


वाद संख्या-54/2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष श्री बिगु भगत एवं अन्य, ग्राम-तुतटोली, पंचायत-तिरला, प्रखण्ड+जिला-खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई में उपस्थित हैं, जबकि शिकायतकर्ता का फोन नहीं लग पा रहा है। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को एक सी0डी0 उपलब्ध कराई है, जिसमें ग्राम सभा संपन्न होने और लाभुकों का बयान दर्ज होने का प्रमाण उपलब्ध है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पत्रांक-1226 दिनांक-31.10.2023 के माध्यम से आयोग को एक प्रतिवेदन भी भेजा है, जिसकी कंडिका-4 में इस बात का उल्लेख है कि कई लाभुकों ने यह माना कि सितंबर माह का राशन उन्हें कम दिया गया और नियमित रसीद नहीं देने की भी बात कही है।


आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि सितंबर माह का राशन कम दिये जाने की जाँच करें और जितने लाभुकों को सितंबर माह का अनाज कम दिया गया है, उन्हें बकाया अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक-29.11.2023 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-29.11.2023 को रखें।



(शबनम परवीन)

सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।



(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।